प्रतिलिपि आदेश दिनांक 1-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्रकरणक्रमांक निग0।233-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 7-8-2000 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 289/स्व निग0/अ-19/99-2000.

स्वर्गीय श्रीमती तुलसादेवी के वैधवारिसान
अनन्तराम चौबे पुत्र स्व0 श्री भावानदास चौबे
निवासी सटई रोड छतरपुर --- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन -- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1233/III/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
1-5-2014	यह निगरानी अपर कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 290/अ–19/99–2000 स्व.प्रे.नि. में पारित आदेश दिनांक 7–8–2000 के विरूद्व अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन सहित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी ग्राह्यता पर पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम सूरजपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 120/4 रकबा 4.90 एकड़ पटटपा 1980 में मिला था तभी से वह भूमिस्वामी है किन्तु उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना अपर कलेक्टर ने भूमि बन विभाग के स्वामित्व पर दर्ज करने का एकपक्षीय आदेश दिये है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 7–8–2000 के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम सूरजपुरा तहसील छतरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 120/4 ग रकबा 4–90 एकड़ जो बन विभाग के अधिसूचित क्षेत्र में है, आवेदक के अनुसार उसे तहसील न्यायालय से 1980 में पटटा गिला है। तहसीलदार छतरपुर ने प्रतिवेदन कमांक 342/बी-121 / 99–2000 दिनांक 22–7–2000	

प्रस्तुत कर उक्तांकित भूमि बन विभाग के सॅसूचित क्षेत्र में होकर बन क्षेत्र की होना बताया है, जिस पर अपर कलेक्टर, छतरपुर ने आदेश दिनांक 7–8–2000 से तहसीलदार के प्रतिवेदन को सही होना मानकर बन भूमि दर्ज करने के आदेश दिये हैं। वैसे भी बन विभाग की भूमि किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित नहीं की जा सकती।

4/ उपरोक्त कारणों से अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 290/अ–19/99–2000 स्व.प्रे.नि. में लिया गया निर्णय दिनांक 7–8–2000 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य